उत्तर रेलवे

अधिसूचना

सं.: ई.एम.सी/5/पॉलिस/री.इंगेजमेंट/2016 दिनांक: 12.09.2018

विषय: सेवाओं की आवश्यकताओं में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की री-इंगेजमेंट।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 16.10.17 के पत्रांक ई.एन.जी.–11/2017/आरसी-4/कोर–1 और उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय द्वारा परिपत्रित पी.एस. 14820/17 के अंतर्गत यह विनिश्चय किया गया है कि विभिन्न विभागों में निम्नलिखित श्रेणियों में रेल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रि–इंगेज किया जाए।

श्रेणियां जिसमें रि-इंगेज किया जाएगा

विभाग	पद का नाम	पदों की संख्या
अभियांत्रिक	ट्रैकमैन	2600

नियम व शर्तें

1. रेल कर्मचारी संरक्षा संबंधी सेवा निवृत्त योजना (LARGESS) के अंतर्गत सेवा निवृत्त नहीं हुआ होना चाहिए।

2. निष्काषित/बर्खास्त/अनिवार्य/स्वैच्छिक सेवा निवृत्त कर्मचारी री–इंगेजमेंट के पात्र नहीं है।

3. इच्छुक उम्मीदवार के पिछले 10 वर्षों का संरक्षा रिकार्ड/5 वर्षों के सेवा रिकार्ड की जांच की जाएगी।

4. उम्मीदवार को उपरोक्त अवधि में रेलवे कर्मचारी रहते हुए डी. एडं ए.आर. के तहत कोई बड़ा दंड ना मिला हो।

5. उपयुक्त श्रेणी की चिकित्सा फिटनेस अनिवार्य है।

6. इस प्रकार रि–इंगेजमेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। रेलवे बोर्ड के अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार आर.बी.ई. नं. 193/2017 यह योजना 1-12-19 तक वैध है।

7. रिइंगेजमेंट किए जाने वाले सेवा निवृत्त कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक उसके अंतिम लिए गए वेतन से पेंशन घटाकर अर्थात बेसिक पे + डी.ए. के अनुसार निर्धारित किया जाएगा तथा उसे सेवारत कर्मचारी की भांति प्रोत्साहन देय वही होगा।

8. कर्मचारी की उपयुक्तता/सक्षमता तथा संरक्षा रिकार्ड एवं परिचालन संबंधी अनुक्षाओं जैसे आवश्यक हो का इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा उपयुक्त रूप से मूल्यांकन/निर्णय किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम होगा।

9. रि–इगेजमेंट कर्मचारी के लिए ड्यूटी के घंटे वही होंगे जो उस पद के लिए लागू होंगे जिस पर उसे रिइंगेज किया गया है।

10. ऐसे रि–इंगेज कर्मचारी की सेवाएं असंतोषजनक होने पर किसी भी समय बिना किसी प्रस्तावित प्रक्रिया के समाप्त कर दी जाएगी।

11. रिक्त पदों पर आर.आर.बी/आर.आर.सी. या अन्य स्रोतों से चुने गए उम्मीदवारों के कार्यग्रहण करने पर रिइंगेज कर्मचारी को तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

12. रि–इंगेज सेवा निवृत्त कर्मचारी को मुरादाबाद मंडल के किसी भी स्थान पर विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार पदस्थ किया जा सकता है।

13. कर्मचारी को कोई सी.एल./एल.ए.पी./ सिक लीव आदि देय नहीं होगी। यदि वे ड्यूटी से अनुपस्थित होते हैं तो वेतन उसके परिश्रमिक से काट लिया जाएगा।

14. इस अवसर पर लाभ लेने के इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी निर्धारित प्रारूप पर पी.पी.ओ. की मूल प्रति, सेवा प्रमाण पत्र तथा सेवानिवृत्ति पर जारी पहचान पत्र और बैंक खाता सं. तथा आई.एफ.एस.सी. कार्ड सहित मंडल कार्मिक अधिकारी/मुरादाबाद को आवेदन कर सकते हैं। **15.10.18** तक प्राप्त आवेदनों पर प्रथम चरण में विचार किया जाएगा।

प्रवर मंडल कार्मिक अधिकारी

2735/2018 **उत्तर रेलवे मुरादाबाद**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ